

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

ON MUTUAL VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC PASSPORT

The Government of the Federal Democratic Republic of Ethiopia and the Government of the Republic of India, hereinafter jointly referred to as "Parties" and separately as "Party",

Considering the interest of the both countries to strengthen their friendly relations, and

Desiring to facilitate the entry and transit of the citizens of the two countries holding diplomatic passport in their respective countries,

Cognizant of the need to ensure a properly regulated utilization of the visa waiver arrangement,

HAVE AGREED as follows:

ARTICLE 1 : SCOPE

This Agreement is applicable to citizens of the Parties holding valid diplomatic passport.

ARTICLE 2 : VISA EXEMPTION

Citizens of either Party as referred in Article 1 are exempted from visa requirements to enter in to, exit from and transit through the territory of the other Party, for a period of stay not exceeding 90 days from the date of entry.

ARTICLE 3 : VISA FOR ASSIGNMENTS

The citizens of either Party who are assigned to diplomatic or consular missions or a representation of international organization located in the territory of the other Party, and their spouse, children and dependents holding a valid diplomatic passport, shall be required to obtain a visa prior to entry into the territory of the other Party.

ARTICLE 4: REFUSAL OF ENTRY

Each Party reserves the right to refuse the entry into, shorten, suspend or terminate the stay of any citizen of the other Party it may consider undesirable.

R.C.



ARTICLE 5 : LOSS OF PASSPORT

1. If a citizen of either Party loses his/her passport in the territory of the other Party, he/she shall inform the concerned authorities of the receiving party for appropriate actions.
2. The diplomatic mission or consular office of the Party that issued the passport will issue a new passport or travel document to its citizen and inform the concerned authorities of the host Government.

ARTICLE 6 : APPLICABILITY OF NATIONAL LAWS

1. Citizen of either Party, holding diplomatic passport shall abide by the laws and regulations of the other Party governing procedures of entry, departure, residence, and others throughout the duration of their stay in its territory.
2. Nothing in the Agreement shall be construed as affecting the rights and obligations set out in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 18 April, 1961 or other international laws.

ARTICLE 7 : ENTRY AND EXIT CONDITIONS

1. Citizens of either Party referred in Article 1 shall enter into or depart from the territory of the other Party through any border crossing point open to International Traffic.
2. Citizens of either Party referred in Article 1 shall comply with security, immigration, customs, sanitary and other provisions which may be legally applicable to holders of such valid passports.

ARTICLE 8 : VALIDITY OF PASSPORTS

The remaining duration of the diplomatic passports of citizens of either Party shall at least be six (6) months at the date of the entry of the holder into the territory of the other Party.

ARTICLE 9: EXCHANGE OF SPECIMEN OF PASSPORT AND REGULATIONS

1. The parties shall exchange through their diplomatic channel specimens of diplomatic passport and information concerning the procedure governing their use at least thirty (30) days before the entry into force of this Agreement.
2. If either Party modifies or changes its diplomatic passport, it shall transmit to the other Party the specimen of the new passport through diplomatic channel 30 days before its circulation.

R.C.



ARTICLE 10 : TEMPORARY SUSPENSION

1. Each party reserves the right for reasons of security, public order or public health, to suspend temporarily, either in whole or in part, the implementation of this Agreement.
2. The Parties shall promptly notify each other of the suspension of the Agreement.
3. The suspension shall not affect the rights of the nationals who have already entered the territory of the other Party.

ARTICLE 11: DISPUTE SETTLEMENT

Any dispute arising from the implementation and interpretation of this Agreement shall be settled amicably through consultation and negotiation between the Parties.

ARTICLE 12 : AMENDMENTS

1. This agreement may be amended or modified by mutual consent of the Parties through diplomatic channels.
2. Any amendments or modification made shall enter into force pursuant to Article 13 of this Agreement.

ARTICLE 13 : ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

1. This Agreement shall enter into force for the Parties on the thirtieth day (30th) after the receipt of the last written notification of a Party's completion of its internal procedures for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period of time, unless either of Party terminates it by giving six (6) months prior written notice of its intention to terminate.

IN WITNESS WHEREOF, undersigned being duly authorized by their respective Government, have signed the present Agreement in two (2) originals; in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In the event of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

**FOR THE GOVERNMENT OF
THE REPUBLIC OF INDIA**



Name: Mr. Rahul Chhabra
Designation: Secretary (Economic Relations)
Ministry of External Affairs, India
Dated: 19 February, 2021

**FOR THE GOVERNMENT OF THE
FEDERAL DEMOCRATIC
REPUBLIC OF ETHIOPIA**



Name: Dr. Tizita Mulugeta Yimam
Designation: Ambassador of the Federal Democratic Republic of Ethiopia to the Republic of India

Dated: 19 February, 2021



इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार

और

भारत गणराज्य की सरकार

के बीच

**राजनयिक पासपोर्टधारकों के लिए वीजा अपेक्षाओं से पारस्परिक छूट के संबंध में
करार**

इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार, जिन्हें इसके बाद सामूहिक रूप से "दोनों पक्षकार" और पृथक रूप से "पक्षकार" कहा गया है,

इस पर विचार करते हुए कि मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रगाढ़ बनाया जाना दोनों देशों के हित में होगा, दोनों देशों के राजनयिक पासपोर्टधारक नागरिकों के एक-दूसरे देश के भू-क्षेत्र में प्रवेश एवं पारगमन को सुविधाजनक बनाने की इच्छा से,

वीजा अपेक्षाओं से छूट संबंधी व्यवस्था के उपयुक्त रूप से विनियमित उपयोग को सुनिश्चित करने की आवश्यकता का संज्ञान लेते हुए,

निम्नवत सहमत हुई हैं:

अनुच्छेद 1: कार्यक्षेत्र

यह करार दोनों पक्षकारों के वैध राजनयिक पासपोर्टधारक नागरिकों के लिए लागू होगा।

अनुच्छेद 2: वीजा अपेक्षाओं से छूट

अनुच्छेद 1 में उल्लिखित किसी भी पक्षकार के नागरिकों को दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में उनके प्रवेश करने की तारीख से अधिकतम 90 दिनों की अवधि के लिए प्रवेश करने, वहाँ से निकलने और पारगमन करने के लिए वीजा अपेक्षाओं से छूट प्राप्त होगी।

अनुच्छेद 3: विनिर्दिष्ट कार्यों के लिए वीजा

दोनों में से किसी भी पक्षकार के किसी भी नागरिक जिसे राजनयिक या कौंसुली मिशनो के स्टाफ के सदस्य के रूप में या दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में स्थित किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन में अपने देश के प्रतिनिधि के तौर पर कोई कार्य सौंपा गया हो और उसके पति/पत्नी, उनके बच्चों तथा आश्रितों, जिसके पास वैध राजनयिक पासपोर्ट हो, को दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश से पहले वीजा प्राप्त करना होगा।

अनुच्छेद 4: प्रवेश देने से इंकार

प्रत्येक पक्षकार के पास दूसरे पक्षकार के ऐसे नागरिक को प्रवेश देने से इंकार करने, अपने भू-क्षेत्र में प्रवास की अवधि कम करने, निलंबित करने अथवा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा, जिसे वह अवांछित व्यक्ति मानता हो।

R.C.

अनुच्छेद 5: पासपोर्ट खो जाना

1. यदि दोनों में से किसी भी पक्षकार का कोई नागरिक दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में अपना पासपोर्ट खो देता है, तो वह उपयुक्त कार्रवाई के लिए मेज़बान देश के संबंधित प्राधिकारियों को सूचित करेगा।
2. संबंधित राजनयिक मिशन अथवा कौंसुलावास अपने नागरिकों को एक नया पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करेगा और मेज़बान सरकार के संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना देगा।

अनुच्छेद 6: राष्ट्रीय कानूनों की अनुप्रयोज्यता

1. दोनों पक्षकार राष्ट्र के नागरिक, जिनके पास राजनयिक पासपोर्ट हो, दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में प्रवेश, पारगमन, निकास, आवास और वहाँ रहने के दौरान, उस राष्ट्र के कानूनों एवं विनियमों का पालन करेंगे।
2. इस करार में उल्लिखित कोई भी शर्त राजनयिक संबंध विषयक 18 अप्रैल, 1961 के वियना अभिसमय अथवा अन्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों में निर्धारित अधिकारों एवं दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुच्छेद 7: प्रवेश और प्रस्थान की शर्तें

1. अनुच्छेद 1 में उल्लिखित दोनों में से किसी भी पक्षकार के नागरिक अंतरराष्ट्रीय आवागमन के लिए खुले सीमावर्ती मार्गों द्वारा अन्य पक्षकार की सीमा से प्रवेश या प्रस्थान कर सकते हैं।
2. अनुच्छेद 1 में उल्लिखित दोनों में से किसी भी पक्षकार के नागरिक उन सुरक्षा, उत्प्रवासन, सीमा शुल्क, स्वच्छता और अन्य प्रावधानों का पालन करेंगे, जो ऐसे मान्य पासपोर्टधारकों के लिए कानूनी रूप से लागू होगा।

अनुच्छेद 8: पासपोर्ट की वैधता

दोनों में से किसी भी पक्षकार के नागरिकों के राजनयिक पासपोर्ट की अवधि दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में पासपोर्टधारक के प्रवेश की तारीख से कम से कम 6 (छह) महीने तक वैध होगी।

अनुच्छेद 9: पासपोर्ट और विनियमों की नमूना प्रतियों का आदान-प्रदान

1. दोनों पक्षकार इस करार के लागू होने से कम से कम 30 दिन पहले अपने प्रयोग की प्रक्रिया से संबंधित राजनयिक पासपोर्ट और जानकारी की नमूना प्रतियों का आदान-प्रदान अपने राजनयिक माध्यमों द्वारा करेंगे।
2. किसी भी पक्षकार द्वारा अपने राजनयिक पासपोर्ट के संशोधन या उसमें बदलाव करने पर वह पक्षकार उस नए पासपोर्ट की नमूना प्रति दूसरे पक्षकार को उसके परिचालन से 30 दिन पूर्व राजनयिक माध्यम से प्रेषित करेगा।

R.C.

अनुच्छेद 10: अस्थायी निलंबन

1. प्रत्येक पक्षकार को सुरक्षा, लोक व्यवस्था या सार्वजनिक स्वास्थ्य के आधार पर इस करार के कार्यान्वयन को अस्थायी रूप से पूर्णतः अथवा अंशतः निलंबित करने का अधिकार है।
2. दोनों पक्षकार इस करार के निलंबन की सूचना दूसरे पक्षकार को यथाशीघ्र उपलब्ध कराएंगे।
3. यह निलंबन उन नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करेगा जो दूसरे पक्षकार के भू-क्षेत्र में पहले ही प्रवेश कर चुके हैं।

अनुच्छेद 11: विवादों का निपटान

इस करार के क्रियान्वयन और निर्वचन से उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निपटान दोनों पक्षकारों के बीच परामर्श और बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण तरीके से किया जाएगा।

अनुच्छेद 12: संशोधन


1. इस करार को राजनयिक माध्यमों द्वारा पक्षकारों की आपसी सहमति से परिवर्तित एवं संशोधित किया जा सकता है।
2. इस करार में किए गए किसी भी प्रकार के परिवर्तन या संशोधन को अनुच्छेद 13 के अनुसरण में लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद 13: इस करार को लागू किया जाना, समयावधि तथा समापन

1. यह करार दोनों पक्षकारों के लिए इस करार को लागू करने के लिए पक्षकारों की अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के पूरा होने की अंतिम लिखित अधिसूचना की प्राप्ति के तीसवें (30 वें) दिन से लागू होगा।
2. यह करार अनिश्चित काल के लिए लागू रहेगा जब तक कि अन्यथा कोई भी पक्षकार छह (6) महीने पूर्व इस करार को समाप्त करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देकर इसे समाप्त न कर दे।

इसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने अपनी-अपनी सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत होकर अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं की दो-दो मूल प्रतियों में वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं। सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। निर्वचन में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से



नाम: श्री राहुल छाबड़ा

पदनाम: सचिव (आर्थिक संबंध), विदेश
मंत्रालय, भारत

दिनांक: 19 फरवरी, 2021

इथियोपिया संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य की
सरकार की ओर से



नाम: डॉ. तिजिता मुलुगेता यिमम

पदनाम: भारत गणराज्य में इथियोपिया संघीय
लोकतांत्रिक गणराज्य के राजदूत

दिनांक: 19 फरवरी, 2021